केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

9-1/CSU/DSW/2022-23/11/16

दिनांक - 10.04.2023

सेवा में

निदेशक, सभी परिसर

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

विषय - परिसरों के पुस्तकालयों में बुक-बैंक स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में

महोदय,

दिनांक 04.04.2023 की अधिष्ठातृ-परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा सूचित करने का निर्देश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से सभी परिसरों के पुस्तकालयों में बुक-बैंक स्कीम लागू करना है। प्रारम्भिक स्तर पर सभी परिसरों में उपलब्ध छात्रकोष से छात्रकल्याणसमिति की संस्तुति के आधार तदर्थ अपेक्षित सभी नियमों का पालन करते हुये प्राक्-शास्त्री, शास्त्री एवं आचार्य की सभी पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध नई पुस्तकों का क्रय करना आवश्यक है। क्रेतव्य पुस्तकों का परिमाण छात्रों की संख्या एवं उपलब्ध छात्रकोष के आधार पर परिसर ही तय करेगा।

बुक-बैंक स्कीम का दिशानिर्देश संलग्न है जिसके आधार पर यह बुक-बैंक स्कीम संचालित होगी। परिसर के पुस्तकालयाध्यक्षों तथा / अथवा सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों को एतदर्थ समन्वयक/संयोजक नियुक्त किया जा सकता है।

एतद्विषयक कार्यवाही करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय

B. Biswal 10/04/2023

प्रो. बनमाली बिश्वाल

अधिष्ठाता (शैक्षिकवृत्त)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

Central Sanskrit University, Delhi

Book Bank Scheme for Central Library

Rules and Regulations

1. बुक-बैंक स्कीम केवल Prak-Shastri, Shastri एवं Acharya पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए है।

2. प्रत्येक नियमित कोर्स के विद्यार्थी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

3. बुक-बैंक स्कीम के अन्तर्गत वंचित वर्ग (SC/ST/ EWS/ Economically disadvantage group) के विद्यार्थी निशुल्क पंजीकरण कर बुक बैंक की सदस्यता लेंगे | अन्य विद्यार्थी १०० रूपए के नॉन-रिफन्डेबल शुल्क पर सदस्यता ले सकते हैं ।

4. बुक-बैंक स्कीम के अन्तर्गत, Prak-Shastri, Shastri एवं Acharya पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के विषयों पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुस्तकें प्रति सेमेस्टर दी जायेंगी।

कक्षा /कोर्स	जारी की जाने वाली पुस्तकों की अधिकतम संख्या
Prak-Shasrti	प्रति पत्र 01 पाठ्यपुस्तक के हिसाब से देय
Shastri	-do-
Acharya	-do-

5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषयों पर निर्धारित लेखकों में से उपलब्ध पुस्तकें ही प्रदान की जाएँगी। सन्दर्भ पुस्तकें जारी नहीं की जाएँगी ।

6. बुक-बैंक स्कीम के अन्तर्गत विद्यार्थी को एक बार जारी/प्रदान की गई पुस्तक सेमेस्टर समाप्त होने से पूर्व परिवर्तित नहीं की जाएगी। छात्र परीक्षाकाल में भी उक्त पुस्तकें रख सकते हैं।

7. बुक-बैंक स्कीम के विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् 05 दिवस के अंदर बुक जमा कराना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय पर बुक जमा ना करने पर रू. 1/- (एक रूपये) के प्रतिदिन, प्रतिबुक के मान से अर्थदण्ड जमा करना होगा । कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के समाप्त होने से पूर्व पुस्तकालय से No Dues प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

8. यदि छात्र का सेमेस्टर बैक हो जाता है अथवा उसने रिजल्ट आने के पहले ही चालू सेमेस्टर की पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसे एक सेमेस्टर बैक विषय में एक अतिरिक्त पुस्तक जारी की जा सकती है। अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में बैक आने पर बुक बैंक की पुस्तक का लाभ नहीं मिलेगा ।

9. विद्यार्थी द्वारा बुक-बैंक की पुस्तक खो जाने पर नई पुस्तक उसी लेखक एवं प्रकाशक का ही होना चाहिए अथवा पुस्तक के मूल्य की दुगनी कीमत अर्थदण्ड के रूप में जमा करनी होगी ।

9. पुस्तक का पेज फट जाने, पेज कम पाये जाने, पेन, लीड, इंक के निशान बनाने की दशा में छात्र को नई पुस्तक लाईब्रेरी में जमा करानी होगी अथवा पुस्तक के मूल्य की दुगनी कीमत अर्थ दण्ड के रूप में जमा करनी होगी ।

B. Bis[illegible]
10/04/2023